106
27

संख्या-95 /2015/2089/नौ-5-15-83सा/2009 टीसी

प्रेषक,

उमा शंकर सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0 जल निगम,
लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग 5

लखनऊ : दिनाक 31 मार्च, 2015

विषयः- वित्तीय वर्ष 2014-15 में डेडिकेटेड अर्बन ट्रान्सपोर्ट फण्ड में प्रावधानित धनराशि के सापेक्ष अवशेष धनराशि को पीएलए/डिपाजिट खाते में रखा जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2014-15 में अनुदान संख्या-37 के आयोजनेत्तर पक्ष के अन्तर्गत डेडिकेटेड अर्बन ट्रान्सपोर्ट फण्ड मद में प्रावधानित धनराशि ₹ 225.00 करोड़ में से अवशेष बची धनराशि रू0 15454.85 लाख (₹ एक अरब चौवन करोड़ चौवन लाख पचासी हजार मात्र) को आहरित कर उ0प्र0 जल निगम के पीएलए/डिपाजिट खाते में रखे जाने पर निम्नलिखित विवरण, शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(1) प्रश्नगत धनराशि कलेक्ट्रेट कोषागार, लखनऊ से आहरित कर उ0प्र0 जल निगम के पीएलए (डिपाजिट खाते) में जमा की जायेगी।

(2) पीएलए में रक्षित धनराशि का उपभोग आदेश निर्गत होने की तिथि से 06 माह की समय-सीमा के अन्तर्गत कर लिया जायेगा।

(3) स्वीकृत धनराशि का पीएलए से आहरण डेडिकेटेड अर्बन ट्रांसपोर्ट फण्ड का खाता खुल जाने के पश्चात् डेडिकेटेड अर्बन ट्रांसपोर्ट फण्ड के खाते में जमा किया जायेगा तथा उन्हीं कार्यो पर सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त कर व्यय किया जायेगा, जिन कार्यो का उल्लेख उत्तर प्रदेश समर्पित नगरीय परिवहन निधि नियमावली 2013 के प्रस्तर-9 (निधि का उपयोग) में उल्लिखित है।

2- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम द्वारा बिल स्वयं हस्ताक्षरित कर निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ से प्रतिहस्ताक्षरित कराकर कोषागार में प्रस्तुत किया जायेगा।

3- इस शासनादेश में वित्त विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्ट शर्तो का अनुपालन विभागों/उपक्रमों में तैनात वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तो का किसी प्रकार का विचलन हो, तो सम्बन्धित वित्त नियंत्रक इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित तत्काल प्रशासकीय तथा वित्त विभाग को दी जायेगी।

4- चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय आयोजनेत्तर *लेखाशीर्षक "2217 शहरी विकास-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-09-राज्य सरकार द्वारा संग्रहीत 2 प्रतिशत अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क का डेडिकेटेड अर्बन ट्रान्सपोर्ट फण्ड में अंतरण-42-अन्य व्यय"* के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या-ई-8-1182/दस-2015, दिनांक 31 मार्च, 2015 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(उमा शंकर सिंह)
संयुक्त सचिव।

संख्या- 95 /2015/2089(1)/नौ-5-15-83सा/2009टीसी, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
2- मण्डलायुक्त, लखनऊ मण्डल लखनऊ।
3- जिलाधिकारी, लखनऊ, ।
4- कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट कोषागार, लखनऊ।
5- निदेशक, परिवहन निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
6- निदेशक, नगरीय निकाय, उ0प्र0 लखनऊ।
7- वित्त नियंत्रक/वरिष्ठ लेखाधिकारी, स्थानीय निकाय निदेशालय, इन्दिरा भवन, उ0प्र0 लखनऊ।
8- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8/9, वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1
9 गार्ड फाईल/कम्प्यूटर सेल वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।

आज्ञा से,

उमा शंकर सिंह)
संयुक्त सचिव।